राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 399/2021

राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ़

– वादी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र रघुवीर सिंह जाति जाट निवासी कुलोठ खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. चन्द्रभान जांगिड़ पुत्र श्योनारायण जाति खाती निवासी सूरजगढ़, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. जयसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी दुबलधन जिला रोहतक हाल जिला झज्जर हरियाणा। (मृतक)

3/1 राजेश पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी , दुबलधन जिला रोहतक हाल जिला झज्जर हरियाणा।

3/2 योगेश पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी , दुबलधन जिला रोहतक हाल जिला झज्जर हरियाणा।

3/3 राकेश पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी , दुबलधन जिला रोहतक हाल जिला झज्जर हरियाणा।

3/4 संतोष पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी , दुबलधन जिला रोहतक हाल जिला झज्जर हरियाणा।

4. बलवान पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी दुबलधन जिला रोहतक हाल जिला झज्जर हरियाणा। (लाऔलाद फौत)

4/1 महावीर सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी , दुबलधन जिला रोहतक हाल जिला झज्जर हरियाणा।

4/2 रमेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी , दुबलधन जिला रोहतक हाल जिला झज्जर हरियाणा।

5. मु0 जेरो पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी , दुबलधन जिला रोहतक हाल जिला झज्जर हरियाणा।

6. मुकेश कुमार पुत्र नौरंगलाल जाति जाट निवासी बासड़ी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान।

7. महावीर सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी दुबलधन जिला रोहतक हाल जिला झज्जर हरियाणा।

8. यशुगोयल पुत्र एन के गोयल जाति महाजन वेस्ट पंजाबीबाग दिल्ली।

9. रणवीर पुत्र महासिंह जाति जाट निवासी दुबलधन जिला रोहतक हाल जिला झज्जर हरियाणा।

10. रमेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी दुबलधन जिला रोहतक हाल जिला झज्जर हरियाणा।

11. सुरेश कुमार पुत्र श्योराम जाति माली निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय ::

दिनांक –21.12.2021

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र, को खुर्द बुर्द नही करें।

(ख) अन्य सिद्वि जो मुफिद वादी हो एवं धारा 289 आ0टी0एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये नोटिस बोर्ड ग्राम पचायत काकोड़ा पर चस्पानगी से की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3/1 लगायत 3/4, 4/1, 4/2, 10 व 11 ने जवाब पेश किया जिसमें उक्त प्रतिवादियों ने स्वीकार किया की उक्त कृषि भूमि को जानकारी के अभाव में कृषि के रूप में काम में न लेकर बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर अवैध रूप से प्लाटिंग कर इस खसरा नम्बर की भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है तथा उक्त प्रतिवादियों ने ख0न0 81, 82 कुल रकबा 1.94 है0 की संपरिवर्तन की निर्धारित दर से राशि जमा करवा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 09 की और से कोई उपस्थित नहीं आया जिनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा, फर्द मौका।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण को रिमाण्ड किया जाकर खारीज किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण को रिमाण्ड कर खारीज किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कृषि भूमि ख0न0 81, 82 कुल रकबा 1.94 हैक्टर स्थित ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3/1 लगायत 3/4, 4/1, 4/2, 10 व 11 का जवाब में दोष स्वीकार किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि जो कि कृषि भूमि है, का अकृषि प्रयोग किया गया है। राज पैरोकार की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3/1 लगायत 3/4, 4/1, 4/2, 10 व 11 व अन्य खातेदारान के द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 0.70 है0 भूमि को छोड़कर शेष भूमि को पूर्व की स्थिति में लाया जाना पाया गया । उक्त खसरान की 1.24 है0 भूमि को पूर्व की स्थिति में लाया जा चुका है, इसलिए यह नियमानुसार खातेदारान की रहेगी। चूँकि प्रतिवादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन स्वीकार किया है अतः उसके हिस्से की भूमि रकबा 0.70 है0 भूमि पर बतौर शास्ती वार्षिक लगान की 50 गुणा राशी तहसीलदार सूरजगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा करवायी जानी निर्धारित की जाती है एवं उक्त भूमि रकबा 0.70 है0 मुताबिक नजरी नक्शा 90ए में कनर्वजन करवाकर पालना रिपोर्ट तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेश दिनांक से 180 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वाद वादीगण को रिमाण्ड किया जाता है।

प्रतिवादीगण को पाबंद भी किया जाता है कि भविष्य में बिना विहित अधिकारी / प्राधिकारी की अनुज्ञा के किसी भी प्रकार का भूमि अथवा उसके भाग का अकृषि उपयोग नहीं करेगें। नजरी नक्शा मूल दावे का भाग रहेगा।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर सूरजगढ़